211

संख्या : 1606/IV(2)-श0वि0–2014–06(ADB)11

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2014

विषयः उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेन्ट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (UUSDIP) के ट्रांच–2 (Loan No. 2797-IND) हेतु प्रतिपूर्ति दावे की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1129/IV(2)–श0वि0–11–06(एडीबी)/11, दिनांक 2.09.2011, संख्याः 433/IV(2)–श0वि0–12–06(एडीबी)/11टी.सी., दिनांक 29.03.2013, संख्याः 957/ IV(2)–श0वि0–2013–06(एडीबी)/11, दिनांक 20.08.2013, संख्याः 157/IV(2)– श0वि0– 2014–06 (एडीबी)/11, दिनांक 21.02.2014, संख्याः 969/IV(2)– श0वि0–2014–06 (एडीबी)/11, दिनांक 30.06.2014, संख्याः 1065/IV(2)– श0वि0–2014–06 (एडीबी)/11, दिनांक 16.07.2014, एवं शासनादेश संख्याः 1288/IV(2)–श0वि0–2014–06 (एडीबी)/11, दिनांक 09.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से यू0यू0एस0डी0आई0पी0 के अन्तर्गत ट्रांच–2 हेतु कुल ₹ 9280.27 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में वित्त नियंत्रक, यू0यू0एस0डी0आई0पी0 के पत्र संख्याः UUSDIP/ F&A/08/ 2013/654, दिनांक 16.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा UUSDIP के ट्रांच–2 हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25.08.2014 द्वारा यू0यू0एस0डी0आई0पी0 हेतु अवमुक्त Rembursement Claim की धनराशि ₹ 91.49 लाख की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0आई0पी0 के अन्तर्गत प्रस्तावित ट्रांच–2 हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त **₹ 91.49 लाख (₹ इक्यानवे लाख उन्पचास हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उपरोक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ए0डी0बी0 अंश की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के माध्यम से यथाशीघ्र करा ली जाय।

(ii) उक्त धनराशि अवमुक्त **₹ 91.49 लाख (₹ इक्यानवे लाख उन्पचास हजार मात्र)** की धनराशि आपके द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार अधिप्राप्ति कार्यवाही की गयी है।

(iv) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, अधिप्राप्ति नियमावली तथा मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

..2/-....

(v) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(vi) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) यू0यू0एस0डी0आई0पी0 द्वारा निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट/ऋण अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(viii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियन्ता पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे तथा प्रोजेक्ट एग्रीमेंट का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जानी वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(x) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(xi) निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या–452/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(xii) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा निर्माण ईकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

(xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2014 तक उपयोग की गई धनराशि का मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xiv) अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव करते समय कार्यवार L-1 दर लागत पर कार्य की अनुमोदित लागत, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति एवं पूर्व अवमुक्त समस्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(xv) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण– 24–वृहत् निर्माण कार्य" की मद के नामे **₹ 74.11 लाख** तथा **अनुदान संख्या–30** लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191– स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण–24–वृहत् निर्माण कार्य" की मद के नामे **₹ 17.38 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18 मार्च, 2014 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.1410130076... एवं S.1410300077. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

..3/-....

संख्याः 1606/IV(2)–श0वि0–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
7– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।